भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

भूमि संसाधन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1243

दिनांक 30 जुलाई, 2024 को उत्तरार्थ

भू-खंडों की पहचान करना

1243. श्री पी. पी. चौधरीः
श्री देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंहः
श्री विजय कुमार दूबेः
श्री राजेशभाई नारणभाई चुड़ासमाः
श्री परषोत्तमभाई रुपालाः
श्रीमती कमलजीत सहरावतः
श्री खगेन मुर्मुः
श्री जनार्दन मिश्राः
श्री अनिल फिरोजियाः
श्री पी. सी. मोहनः

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने भू-स्थानिक मानचित्रण और अन्य प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके भू-खंडों की पहचान करने में आसानी से सुधार करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डा. चन्द्र शेखर पेम्मासानी)

(क) और (ख): भूमि संसाधन विभाग देश भर में एकीकृत भूमि सूचना प्रबंधन प्रणाली (आईएलआईएमएस) को विकसित करने के उद्देश्य से डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी), नामक एक केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा है। डीआईएलआरएमपी के तहत कार्यकलापों में से एक भूकर मानचित्रों का डिजिटलीकरण है जिसमें मौजूदा भूकर मानचित्रों को जीआईएस-एन्कोडेड डिजिटल मोड में परिवर्तित किया जाता है ताकि अधिकारों के अभिलेख (आरओआर) में किए गए परिवर्तनों के साथ समन्वयित भूकर मानचित्रों के अद्यतन की सुविधा प्रदान की जा सके। इसके अतिरिक्त, विभाग ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी), राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र (एनआरएससी) और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के परामर्श से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपनाए जाने के लिए डीआईएलआरएमपी के अंतर्गत भू खंडों को विशिष्ट आईडी प्रदान करने के लिए विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या (यूएलपीआईएन) प्रणाली नामक एक सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग विकसित किया है। यूएलपीआईएन या भू-आधार प्रत्येक भूखंड के कोनों के भू-निर्देशांक पर आधारित 14 अंकों का अल्फा-न्यूमेरिक है।

****